दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज्या डी-43/2007
यादि क्रमांक चेन-43/जी.एम./कमर्शियल
/आर-16/139104 दिनांक 20-07-2007

प्रेषक,

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

सभी मुज्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक
(परिचालन), एफ.एम.-।/सी. उप-कार्यालय, द.ह.बि.वि.नि.लि.।

विषयः- **बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम -2003 तथा बिजली (संशोधन) (संशोधन) अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटाने के लिए निर्देश।**

केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 12/06/2007 के माध्यम से बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 को कार्यान्वित किया है। बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम-2003 और बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 के प्रावधानों के दृष्टिगत बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए संशोधित निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए संलग्न है। यह सेल्ज परिपत्र बिजली चोरी पर सेल्ज परिपत्र डी-43/2005 द्वारा पूर्व में किए गए सभी निर्देशों तथा इनमें किए गए संशोधनों व अन्य सेल्ज परिपत्रों का स्थान लेगा।

उपरोक्त निर्देशों को सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज्बन्धित के संज्ञान में लाना चाहिए।

प्रति संलग्न/निर्देश
(पृष्ठ 1 से 44)

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
कृतेः मुज्य महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक
द.ह.बि.वि.नि. हिसार

विषय :- **बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन), अधिनियम-2003 और बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 के तहत बिजली चोरी से निपटने के लिए निर्देश।**

(1) **बिजली की चोरी (बिजली अधिनियम-2003 की धारा-135) कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी का दोषी होगा यदि वह बेईमानी से**

बिजली लेने या खपत करने या उपयोग करने के लिए

(क) लाईसैंसधारी या आपूर्तिकर्त्ता की ओवरहैड, भूमिगत या जलगत बिजली लाईनों या केबलों या सेवा तारों या सेवा सुविधाओं के साथ कनैक्शन करता है, या जोड़ता है या कनैक्शन का कारण बनाता है। या

(ख) मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किए हुए मीटर को लगाता है या उपयोग करता है, कंरट रिवरसिंग ट्रांसफार्मर,लूप कनैक्शन या कोई अन्य उपकरण या विधि जो सही या उचित पंजीकरण ,कैलीब्रेशन बिजली के कंरट मीटरिंग को अवरूद्ध करता है, या किसी अन्य प्रकार से ऐसे किसी कृत्य का परिणाम बनता है जिससे बिजली चोरी होती है या व्यर्थ जाती है।

(ग) बिजली मीटर संयंत्र, उपकरण या तार को नुकसान पहुंचाता या नष्ट करता है, या कारण बनता है या उनमें से किसी को भी नुकसान अथवा नष्ट होने का अनुमोदन करता है (होने देता है) जिसके परिणामस्वरूप बिजली की सही व वास्तविक पैमाईश अवरोधित होती है।

(घ) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से बिजली उपयोग करता है।

(ड) बिजली के अधिकृत उपयोग के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग करता है [जहां मीटर/मीटरिंग उपकरणों से छेड़छाड़ की जाती है या जहां मीटर बाईपास (मीटर के माध्यम से विद्युत प्रवाह रोककर बाह्य/सीधे तौर पर बिजली उपयोग करना) किया जाता है।]

ऐसे किसी भी रूप में बिजली का उपयोग या खपत करना ।

(च) बिजली चोरी की उपरोक्त परिभाषा के स्पष्टीकरण के लिए बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 में निम्नलिखित कृत्य उपरोक्त परिभाषा के तहत शामिल किए जाएंगे :-

1. मीटर/एमसीबी में छेद करना।
2. फ्लैट रेट ट्यूबवैल उपभोक्ता अनाधिकृत तरीके से अपना कनेक्टिड लोड बढ़ाता है।
3. कोई कटे हुए कनैक्शन वाला उपभोंक्ता अपना कटा कनैक्शन जोड़ता है।
4. मीटर का शीशा ढीला करना।
5. चुम्बक/उच्च वोल्टेज/उच्च तीव्रता उपकरण का बाह्य उपयोग कर या अन्य किसी विधि से ।
6. पुश फिट टाईप/एम.सी.बी./एम.एस.एम.सी.बी./टर्मिनल प्लेट सील के साथ छेड़छाड़ करना/तोड़ना।
7. बेईमानी से बिजली लेने का साधन जैसे अतिरिक्त सर्किट, गीयर रेशों बदलना, कवायल बदलना आदि का उस स्थान पर (परिसर पर) मौजूद होना।
8. उपभोक्ता के परिसर के अंदर आने वाली पीवीसी/तार काटकर और स्थानातंरित मीटर के मामले में अन्य व्यक्ति की पीवीसी के साथ जोड़ लेना।

9. यदि मीटर/मीटरिंग क्यूबिकल/एल.टी./पी.टी. चैज़्बर पर उपलब्ध सील गुम/टूटी/नकली /छेड़ी हुई पाई जाती है बशर्ते कि आंकड़ा इसे सुनिश्चित (प्रमाणित) करता हो।

10. जहां व्यक्ति ऐसे मीटर के द्वारा बिजली उपयोग करता है जो निगम द्वारा मंजूर न हों ; या

11. इन सब के अलावा मीटरिंग प्रणाली से छेड़छाड़, बेईमानी से बिजली का उपयोग, (संदिग्ध या सीधे), के सभी कृत्य जिससे यह अनुमान लगाया जाए कि बिजली खपत की गणना मीटर में नहीं हो रही है बिजली की चोरी की ओर ले जाते हैं, इन निर्देशों के दायरे में आएगें।

इसमें उपरोक्त सूची सज़्पूर्ण नहीं है और यह केवल स्पष्टीकरण के लिए ही दी गई है और इसमें अन्य कृत्य भी शामिल हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि यह साबित हो जाए कि कोई कृत्रिम साधन या ऐसा साधन जिसे लाईसैंसधारी या आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, उस द्वारा बिजली का दोहन, खपत या बिजली के उपयोग के लिए पाया जाता है तो जब तक की इसके विपरीत साबित न हो गया हो, यह माना जाएगा कि बिजली का कोई दोहन, खपत या बिजली का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बेईमानी से किया गया है :-

(।।) **परिसर का निरीक्षण, बिजली चोरी पकड़ने, बिजली चोरी का मामला बनाने हेतु प्रक्रिया ।**

1. बिजली चोरी पकड़ने के उद्देश्य से लाईसैंसधारी या आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जैसी भी स्थिति हो, विभिन्न सेवाएं/परिसरों के निरीक्षण के अधिकृत अधिकारी (अधिकृत निरीक्षण अधिकारियों के संदर्भ में (ए.आई.ओ.) वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 (2) के तहत अधिकृत किए गए हैं। हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संज़्या 1/12/2003-1 पावर दिनांक 9 दिसज़्बर, 2003 के अनुसार निज़्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

कनैक्शन का प्रकार	**स्थापन के निरीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी।**
1	2
घरेलू	1. सहायक फोरमैन (एएफएम) (सज़्बन्धित अधीक्षक अभियंता परिचालन द्वारा अधिकृत) 2. कनिष्ठ अभियंता (फील्ड)/ एम. एण्ड पी. 3. कनिष्ठ अभियंता, सतर्कता
गैर-घरेलू	उपरोक्त
कृषि	उपरोक्त
एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति	उपरोक्त
एच.टी.औद्योगिक आपूर्ति/बल्क आपूर्ति	1.उपमण्डल अधिकारी (एस.डी.ओ.)/ परिचालन 2. सहायक अभियंता (सतर्कता)/एम. एण्ड पी.
पब्लिक लाईटिंग और अन्य शेष श्रेणियां	उपरोक्त

टिप्पणी :- कॉलम दो में दिए गए वरिष्ठ अधिकारियों से उच्च पदेन अधिकारी भी इसमें वर्णित प्रयोजन के लिए निरीक्षण करने हेतु अधिकृत है।

2. अधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए सभी निरीक्षण, निरीक्षण के समय प्रवेश, खोज और बरामदगी सज़्बन्धित बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 (2), (3) और (4) के अनुसार होंगे। अधिकृत निरीक्षण अधिकारी निज़्नलिखित निरीक्षण कर सकते हैं :-

(क) किसी भी स्थान या परिसर में प्रवेश, निरीक्षण, ब्रेकओपन और खोज, बरामद कर सकता है जिसमें उसके पास यह मानने को कारण है कि बिजली अनाधिकृत रूप से उपयोग/बिजली चोरी हुई है या हो रही है।

(ख) ऐसे सभी यंत्र, उपकरण, तार और कोई दूसरी सुगमता या चीज जिसे बिजली के अनाधिकृत उपयोग/बिजली चोरी के लिए उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, कि खोज, बरामदगी कर सकता है या हटा सकता है।

(ग) खाते की ऐसी कोई पुस्तक या दस्तावेज जो उसके विचार में बिजली चोरी से सज़्बन्धित किसी कार्रवाई में लाभदायक हो या प्रासंगिक हो, का आकलन कर सकता है या बरामद कर सकता है और उस व्यक्ति को जिसके पास से उक्त खाते की पुस्तक या दस्तावेज बरामद किए हैं, को अपनी उपस्थिति में उसकी प्रतियां करवाने या सारांश लेने की अनुमति दे सकता है।

(3) उक्त स्थान का कोई अधिभोक्ता या उसकी ओर से कोई व्यक्ति खोज के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी खोज के दौरान सभी बरामद वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और उसे उस अधिभोक्ता या व्यक्ति को सौंपा जाएगा जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा ।

बशर्ते कि किसी भी घरेलू स्थान या परिसर का निरीक्षण, खोज और बरामदगी, सिवाय ऐसे परिसर में रह रहे व्यस्क पुरूष की उपस्थिति के, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में नहीं की जाएगी।

(4) जहां तक सज़्भव हो इस अधिनियम के तहत खोज और बरामदगी के लिए, अपराध प्रक्रिया की संहिता 1973 (1974 के 20) के प्रावधान लागू होंगे।

3. बिजली की किसी भी चोरी के अपराध/छेड़छाड़/अनुचित दोहन का स्वत: पता चलने या इस सज़्बन्ध में पूरी विश्वस्त जानकारी प्राप्त होने पर अधिकृत निरीक्षण अधिकारी (ए.आई.ओ.) अधिकारियों/कर्मचारियों/पुलिस दल के साथ से शीघ्रता से उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करेगा। यदि कोई उपभोक्ता अधिकृत निरीक्षण अधिकारी को परिसर में किसी भी समय प्रवेश और निरीक्षण करने में बाधा उत्पन्न करता है या रोकता है जिसको आपूर्ति दी जा रही है या जहां निगम या उपभोक्ता के बिजली प्रतिस्थापन या उपकरण ऐसे परिसर में स्थापित हैं तथा निरीक्षण अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि उपभोक्ता बिजली चोरी करता रहा है/वर्तमान में संलिप्त है तो आपूर्ति काटने के लिए अधिकृत अधिकारी तत्काल सेवा काट सकता है। निगम ऐसी आपूर्ति तब तक काटे रख सकता है जब तक कि उपभोक्ता निरीक्षण में वांछित सुविधा प्रदान न करें। यदि ऐसे निरीक्षण में बिजली चोरी इंगित करने को कुछ नहीं मिलता है तो निगम आपूर्ति को बहाल करे। इस प्रकार से सेवा काटने के कारण उपभोक्ता को हुई किसी भी हानि या असुविधा के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

4. परिसर का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद, निरीक्षण दल उस स्थान के कनेक्टिड लोड, मालिक/उपभोक्ता की लेखा संज़्या, सील की स्थिति, मीटर की कार्यस्थिति का विस्तृत विवरण तैयार करेगा और पाई गई कोई अनियमिता जैसे कि बिजली के बेईमानी से दोहन के लिए प्रयोग किए गए कृत्रिम साधन/बिजली चोरी/मीटर/सील आदि से छेड़छाड़ का उल्लेख करेगा। रिपोर्ट यह स्पष्ट दर्शाएगी कि क्या निर्णनायक सबूत, इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि बिजली का बेईमानी से दोहन हो रहा था, पाया गया है या नहीं। ऐसे सबूत के विवरण को रिपोर्ट में दर्ज करना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए कि क्या बनाया जा रहा मामला बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़, सील से छेड़छाड़ आदि का है तथा कथित कृत्य किस प्रकार से बिजली चोरी में सहायक था।

5 केवल मीटर पर लगी सील तथा /या मीटर के डिब्बे के गुम होने या छेड़छाड़ करने या नकली होने या शीशा टूटा होने या मीटर में छेद होने, शीशा ढीला होने, अन्तर्गामी पीवीसी तार के कट होने अथवा कोई कृत्य जहां बिजली चोरी का सबूत मौके पर नहीं है आदि को बेईमानी से किए गए बिजली के दोहन या बिजली चोरी का मामला नहीं बनाया जाएगा बल्कि तब तक संदिग्ध चोरी का मामला दर्शाया जाएगा जब तक कि उपभोक्ता की खपत पद्धति, वैध छेड़छाड़ सूचना और ऐसे अन्य सबूत इस बात की पुष्टि/प्रमाणित न करते हो कि वास्तव में बिजली चोरी की जा रही थी। यह विश्लेषण सम्बन्धित आकलन अधिकारी द्वारा धारा–12 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

6. उपभोक्ता द्वारा बेईमानी से किए जा रहे बिजली दोहन से सम्बन्धित कुछ विश्वसनीय सूत्र से सूचना, मीटर की छेड़छाड़ से सम्बन्धित कोई सूचना या खपत से कोई निष्कर्ष निकालने पर या उपभोक्ता के लोड सर्वेक्षण डाटा के आधार पर अधिकृत ए.एफ.एम. और कनिष्ठ अभियंता और अन्य छापामार दल को परिसर का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण हेतु लागू अनुकूल सम्बद्ध का आधार निरीक्षण पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा जिसे सम्बन्धित अधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

7. किसी भी संदिग्ध परिसर में छापा मारने और निरीक्षण करने से पहले सम्बन्धित जेई /एएफएम सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (एस.डी.ओ.) परिचालन से पूर्व लिखित अनुमति लेगा।

8. निरीक्षण/छापामार दल को लेखा संख्या, स्थल स्थिति, कनेक्टिड लोड, छापामार दल के सदस्यों आदि को निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाना अनिवार्य होगा। इस उद्देश्य हेतु सम्बन्धित एस.डी.ओ./परिचालन अधिकृत ए.एफ.एम./जेई को एल.एल.–1 प्रपत्र जारी करेगा। निरीक्षण के लिए अधिकृत ए.एफ.एम. अधीक्षक अभियंता परिचालन द्वारा जारी पत्र की प्रतिलिपि को चोरी के मामले की फाईल में न्यायालय/पुलिस जांच उद्देश्य के लिए रखेगा।

9. परिसर के निरीक्षण के दौरान **पूरी घटना की रिकॉर्डिंग के लिए, अधिमानतः तिथि और समय को दर्शाने वाला, डिजीटल कैमरा/वीडियो या अन्य कोई रिकॉर्डिंग उपकरण निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी अपने साथ ले कर जाएंगे।** जिस समय छापामार दल या निरीक्षण दल परिसर में निरीक्षण या जांच करें तो परिसर में पहुंचने के बाद और परिसर से निकलने तक की सभी घटनाएं वीडियों कैमरा/डिजीटल कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे। अधिकृत निरीक्षण अधिकारी एक सी.डी. अपने पास रखेगा और एक सी.डी. आकलन अधिकारी को सौंपेगा।

10. बेईमानी से दोहन या कृत्रिम साधनों के सबूत को फोटो खैंच कर बरामद करना चाहिए / जब्त कर लेना चाहिए व कब्जे में लेना चाहिए और बरामदगी का ज्ञापन मौके पर ही तैयार करना चाहिए।

11. निरीक्षण रिपोर्ट पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि और अन्य कोई व्यक्ति जो मौके पर उपलब्ध हो, के हस्ताक्षर करवाने चाहिए और बरामदगी का ज्ञापन मौके पर ही तैयार कर लेना चाहिए। उपभोक्ता द्वारा इन्कार करने पर इसे निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए और **विशिष्ट स्थान/परिसर के बाहर चिपकाना चाहिए** व इसका एक फोटो लेना चाहिए। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां तथा बरामदगी ज्ञापन उपभोक्ता को पंजीकृत डाक द्वारा भेजनी चाहिए।

12. निरीक्षण दल के कार्यो को निम्न तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा :–

(क) चोरी के मामले में (जहां पर चोरी या मीटर से छेड़छाड़ या बिजली चोरी के लिए किया गया सबूत अन्य कोई कृत्य जो बिजली चोरी को इंगित करते हों (बिजली चोरी की ओर ले जाते हों), मौके पर उपलब्ध हो):–

(क) निरीक्षण पूरा होने पर ए.आई.ओ. सभी कागजात, निरीक्षण रिपोर्ट, बरामदगी ज्ञापन तथा अन्य प्रासंगिक (सम्बन्धित) विवरण बिजली चोरी के लिए आकलन राशि (लाईसैंसधारी द्वारा भोगी गई हानि) दर्शाते

हुए लाईसैंसधारी द्वारा आकलन आदेश जारी करने के लिए सज़्बन्धित आकलन अधिकारी के पास तुरंत जमा करवाएगा।

(ख) परिसर की जांच के दो कार्यदिवस के भीतर खंड (।।) (13) के अनुरूप अधिकृत आकलन अधिकारी, खंड -।।। के प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता को लाईसैंसधारी द्वारा आकलन की सूचना देने के लिए उचित पावती (अनुलग्नक-।)आदेश जारी करेगा। किसी मामले में उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार करने या/रसीद देने से इन्कार करने पर दो गवाहों की उपस्थिति में विशिष्ट स्थान/परिसर के बाहर चिपकाना चाहिए। साथ-साथ आदेश पंजीकृत डाक के तहत उपभोक्ता को भेजा जाएगा।

(ग) **कनैक्शन काटना :-** जब भी निरीक्षण के समय धारा-135 (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा बिजली चोरी का मामला पाया जाता है तो सज़्बन्धित नामित अधिकारी द्वारा उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति तुरंत काट दी जाएगी तथा इस सज़्बन्ध में उपभोक्ता को भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट में प्रविष्ट की जाएगी। बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 में प्रावधान अनुसार, जिसकी अधिसूचना एच.ई.आर.सी. (हरियाणा बिजली विनियामक आयोग) द्वारा लंबित है, कनैक्शन काटने के प्रयोजन हेतु निज़्लिखित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है :-

कनैक्शन का प्रकार	**स्थान के निरीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी।**
1	2
घरेलू	सहायक महाप्रबन्धक (ए.जी.एम.)/उपमण्डल अधिकारी (एस.डी.ओ.) परिचालन
गैर-घरेलू	उपरोक्त
कृषि	उपरोक्त
एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति	उपरोक्त
एच.टी.औद्योगिक आपूर्ति/बल्क आपूर्ति	उपमहाप्रबन्धक (डी.जी.एम.)/कार्यकारी अभियंता (एक्सईन)परिचालन
पब्लिक लाईटिंग और अन्य शेष श्रेणियां	उपरोक्त

टिप्पणी:- कनैक्शन काटने के लिए कॉलम-2 में वर्णित अधिकारियों से उच्च श्रेणी के अधिकारी ज़ी अधिकृत होंगे।

(घ) **पुनः कनैक्शन :-** उपभोक्ता द्वारा आकलित राशि का 100 प्रतिशत जमा करवाने के उपरांत लाईसैंसधारी या आपूर्तिकर्त्ता, जैसी भी स्थिति हो, 48 घंटों के अंदर बिजली आपूर्ति चालू की जाएगी। समय पर अदायगी न करने के दोष के मामले में उपभोक्ता को डिफाल्ट अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्वोच्च ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। उपरोक्त पुनः कनैक्शन बिजली चोरी की शिकायत पुलिस या न्यायालय में दर्ज करवाए जाने के कर्त्तव्य को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि धारा-135 के तहत बिजली चोरी के मामले में जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र है उस पुलिस स्टेशन या 8 जनवरी, 2007 की जारी अधिसूचना में विशेष अधिसूचित न्यायालय में शिकायत दर्ज करवानी होती है।

(ड.) **शिकायत दर्ज करना:**- ऐसे कटे हुए कनैक्शन के समय से 24 घंटे के अंदर निगम के अधिकृत अधिकारी जैसे कि घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति के लिए सज़्बन्धित सहायक

महाप्रबन्धक/उपमण्डल अधिकारी परिचालन और एच.टी. औद्योगिक आपूर्ति/बल्क आपूर्ति, सार्वजनिक लाईटिंग तथा शेष श्रेणियों के लिए उपमहाप्रबन्धक/कार्यकारी अभियंता परिचालन क्षेत्र के क्षेत्रीय पुलिस थाना में ऐसे अपराध पर कार्यवाही के लिए लिखित में शिकायत दर्ज करवायेगा (अनुलग्नक-4) बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 के प्रावधान निज़ानुसार पुन: प्रस्तुत है:-

''151 क। इस अधिनियम के तहत जांच या अपराध जो इस अधिनियम के तहत दण्डनीय है के उद्देश्य के लिए, पुलिस अधिकारी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय-12 में प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।''

''151 ख। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी दिया होने के बावजूद धारा-135 से 140 या धारा 150 के तहत एक दण्डनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। ''

''151 प्रदत्त है कि (किन्तु साथ ही) आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुभाग 173 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर इस कानून के तहत एक दण्डनीय अपराध का न्यायालय भी संज्ञान ले सकता है।''

इसके अतिरिक्त प्रदत्त है कि अनुभाग 153 में गठित एक विशेष न्यायालय अदालती परीक्षा (सुनवाई) के लिए अभियुक्त प्रस्तुत न होने पर भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगी।

और उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति के बाद अधिकृत अधिकारी विशेष न्यायालय में भी शिकायत दर्ज कर सकता है। न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का फॉर्मेट (प्रारूप) अनुलग्नक-5 में दिया गया है।

(च) प्रदत्त है कि (किन्तु साथ ही) एक व्यक्ति जो निगम का उपभोक्ता नहीं है, की सेवा को पुन: चालू नहीं किया जाएगा तथा उसके द्वारा आकलन राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति को निगम का उपभोक्ता होने का दावेदार नहीं बनाएगा।

(ख) संदिग्ध चोरी के मामले में (मीटर की टूटी हुई/छेड़छाड़ की हुई/ नकली सीलें तथा/या मीटरिंग क्यूबीकल/अन्तर्गामी पीवीसी तार कटी होना या कोई अन्य दृष्टान्त जहां स्थल पर सबूत उपलब्ध ना हो)

(क) संदिग्ध चोरी के मामलों में निरीक्षण दल बिजली आपूर्ति नहीं काटेगा और जानसन पेपर सील द्वारा मौके पर मूल मीटरिंग उपकरणों की सीलिंग के बाद उचित रेटिंग के नये मीटर से आपूर्ति बहाल करेगा। निरीक्षण के बाद अधिकृत निरीक्षण अधिकारी विवरण देते हुए जैसे कि कनेक्टिड लोड/एमडीआई, सील की स्थिति, मीटर की कार्यविधि और निरीक्षण के दौरान पाई गई। अन्य (ध्यान में आई) अनियमितताएं सहित निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि आवश्यक हो तो ए.आई.ओ. मीटर हटाएगा और इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्डबोर्ड के डिब्बे में अच्छी तरह से सील करेगा, जिस पर निरीक्षण दल और उपभोक्ता के विधिवत हस्ताक्षर होंगे। बरामदगी ज्ञापन भी तैयार किया जाएगा। सीलिंग से पहले ए.आई.ओ. रिपोर्ट का सारा विवरण दर्ज करेगा तथा मीटर/सील/मीटरिंग उपकरणों को खंड (घ) या तदनुसार एम.एण्ड टी. प्रयोगशाला या अन्य ऐजेंसी में निरीक्षण के लिए भेजेगा। रिपोर्ट पर संयुक्त दल के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

(ख) मौके पर निरीक्षण दल के वरिष्ठत्तम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस (अनुलग्नक-2) दो कार्य दिवसों के अंदर उपभोक्ता को भेजा जाएगा कि क्यों न उसके विरूद्ध बिजली चोरी का मामला बनाया जाए, नोटिस में समय, दिनांक तथा स्थान जहां उत्तर प्रस्तुत करना है तथा नामित अधिकारी का नाम व पता जिसे सञ्बोधित किया जाना है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। नोटिस उचित पावती के तहत मौके

पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को तुरंत सौंपना चाहिए। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृति या पावती देने से इन्कार करने पर प्रत्येक की एक प्रति परिसर के अन्दर/बाहर विशेष स्थान पर चिपका देनी चाहिए। इसके साथ -साथ संयुक्त रिपोर्ट और नोटिस उपभोक्ता को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। **उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधीक्षक अभियंता परिचालन सी.टी./पी.टी. मीटरों तथा कार्यकारी अभियंता परिचालन सभी व्हौल करंट मीटर के लिए नामित अधिकारी होंगे।**

नोटिस प्राप्ति की तारीख के तीन दिन के अंदर उपभोक्ता को नामित अधिकारी के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण की स्वतंत्रता है।

(ग) यदि उपभोक्ता द्वारा निर्धारित समय में उत्तर प्रस्तुत किया गया है तो उत्तर की तारीख से चार कार्य दिवसों के अन्दर नामित अधिकारी उपभोक्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, यदि उपभोक्ता से इस सम्बन्ध में निवेदन प्राप्त हुआ है, समय देगा। मामले पर वांछित विचार करने के बाद नामित अधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई या उत्तर प्राप्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से 15 दिनों के अन्दर **(अनुबन्ध-3)**। एक विस्तृत आदेश पारित करेगा कि क्या यह संदिग्ध बिजली की चोरी का मामला बनता है या नहीं है। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट की संक्षिप्तता, उपभोक्ता द्वारा अपने लिखित उत्तर, दिया गया प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान रखे गए पक्ष और इसे मंजूर या नामंजूर करने के कारण और आकलन की राशि व खंड-।।। के अनुसार आकलन का समय दिया जाएगा।

(घ) **मीटर /सीलें/मीटरिंग उपकरण की जांच :-** छेड़छाड़ किए गए मीटर या मीटरिंग उपकरणों या सील, मीटर उपकरणों के माध्यम से प्रयुक्त बिजली के संदिग्ध बिजली चोरी के मामलो में मीटर। मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता की उपस्थिति में सील लगे डिब्बे में परिसर से एम.एण्ड पी. प्रयोगशाला में अपेक्षित परीक्षण हेतु उतार लिया जाएंगे। नामित अधिकारी उपभोक्ता को कम से कम एक सप्ताह पहले मीटर परीक्षण की तारीख और उसे उस दिन उपस्थित होने के लिए पत्र जारी करेगा। यदि उपभोक्ता तय तिथि को परीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं होता तो निगम के दो अधिकारियों, जो निरीक्षण में शामिल नहीं थे, की उपस्थिति में परीक्षण किया जाएगा।

(ड.) इसके अलावा, संदिग्ध बिजली की चोरी के मामले में यदि गत एक वर्ष की खपत पद्धति तार्किक रूप से एक समान है तथा (धारा) तीन के अनुसार खपत आकलन 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी और तीन कार्य दिवसों के भीतर उचित पावती के साथ उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा और मूल मीटर के माध्यम से कनैक्शन बहाल कर दिया जाएगा।

(च) जहां यह निश्चित हो गया हो कि यह मामला बिजली चोरी का है तो खंड (2) (12)(क) (ग से झ) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा

(13) **आकलन अधिकारी :-** हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या 1/12/2003-1 पावर दिनांक 9/12/2003 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को बिजली की चोरी के आकलन के लिए अधिकृत किया गया है :-

कनैक्शन का प्रकार	**आकलन करने के लिए अधिकृत अधिकारी**
1	2
घरेलू (<30 किलोवाट) घरेलू (>30 किलोवाट)	सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक, परिचालन सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता परिचालन
गैर-घरेलू	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता परिचालन

कृषि	सञ्ज़न्धित उपमहाप्रबन्धक, परिचालन
एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति	सञ्ज़न्धित कार्यकारी अभियंता परिचालन
एच.टी.औद्योगिक आपूर्ति/बल्क आपूर्ति	सञ्ज़न्धित कार्यकारी अभियंता परिचालन
पब्लिक लाईटिंग और अन्य शेष श्रेणियां	सञ्ज़न्धित कार्यकारी अभियंता परिचालन

टिप्पणी:- उच्च पद का अधिकारी भी आकलन के लिए अधिकृत होगा।

(।।।) **बिजली चोरी के लिए आकलन :-** यदि किसी भी स्थान या परिसर के निरीक्षण पर या कनैक्टिड या प्रयुक्त किए गए उपकरण, गैजेट्स, मशीन उपकरण के निरीक्षण के बाद या किसी व्यक्ति द्वारा तैयार रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद यदि आकलन अधिकारी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यक्ति बिजली चोरी में संलिप्त है तो वह ऐसे उपभोक्ता या परिसर निवासी द्वारा देय बिजली शुल्क का आकलन करेगा।

(क) **आकलन की अवधि :-** आकलन की समय अवधि निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले के 12 मास की ली जाएगी या कनैक्शन जारी करने की तारीख से या एम.एण्ड पी. विंग द्वारा किए गए अन्तिम निरीक्षण की तारीख से, जो भी कम हो या चोरी की सञ्ज़ूर्ण अवधि, यदि वह सुनिश्चित की गई है, ली जाएगी।

(ख) **आकलन राशि की गणना :-** खंड (3) (क) के तहत नियत अवधि के लिए और खंड (3) (घ) के तहत चोरी की गई बिजली की यूनिटों की मात्रा में से आकलन की अवधि के दौरान मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत को घटा कर अर्थात बिजली की शेष यूनिटों पर उपभोक्ता की संबंधित श्रेणी के लिए लागू दर की दोगुणी दर लगाई जाएगी।

(ग) यदि एक व्यक्ति बिजली चोरी के सभी या एक से अधिक कृत्यों में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे प्रत्येक कृत्य के लिए बिजली की प्रत्येक चोरी का अलग से आकलन किया जाएगा।

(घ) बिजली की चोरी के लिए यूनिटों की मात्रा के आकलन हेतु विधि :-

प्रतिमाह खपत यूनिटों की मात्रा (ए.पी.आपूर्ति को छोड़कर)को निज़लिखित तरीके से आंका जाएगा :-

एल.टी. आपूर्ति के लिए - किलोवाट×एल.एफ.×एच×डी

एच.टी. आपूर्ति के लिए - एम.डी.×एल.एफ.×एच×डी

जहां

किलोवाट (के.डब्ल्यू)	जांच/निरीक्षण के समय पाया गया वास्तविक कनेक्टिड लोड किलोवाट में या स्वीकृत लोड या गत 12 महिनों के दौरान अधिकतम दर्ज लोड, जो भी अधिक हो। (यदि किसी मामले में चुञ्ज़कीय क्षेत्र के कारण लोड सर्वेक्षण एम.डी.आई. (अधिकतम मांग निदर्शक-सूचित करने वाला) में असामान्य वृद्धि सुनिश्चित करता है तब चुञ्ज़कीय प्रभाव के तहत रिकॉर्ड की गई असामान्य मांग पर विचार नहीं किया जाएगा तथापित ट्रांसफार्मर विशेष की अधिकतम क्षमता मानी जाए)।
एल.एफ	लोड फैक्टर
एच (घण्टा)	प्रतिदिन कार्य के घंटो की संज़्या
डी (दिन)	प्रति महीने के दिनों की संज़्या
एम. डी.	किलोवाट में अधिकतम मांग/इस उद्देश्य के लिए निज़ में से उच्चस्थ को अधिकतम मांग के

(अधिकतम मांग)	रूप में लिया जाएगा :- (क) उपभोक्ता की स्वीकृत अनुबंधित मांग। (ख) निरीक्षण के पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान दर्ज उच्चतम अधिकतम मांग। **टिप्पणी :-** के.वी.ए. में मांग/लोड को मानक बिजली कारक (0.9) द्वारा किलोवाट में बदला जाए।

यूनिटों की मात्रा की गणना के लिए उपरोक्त लोड कारक, घंटों की संज़्या, और दिनों की संज़्या निज़ अनुसार लिए जाएंगे :-

उपभोक्ताओं की श्रेणी	**लोड कारक**	**प्रतिदिन कार्य के घंटो की संज़्या** **ग्रामीण फीडर**	**शहरी फीडर**	**प्रति महीने दिनों की संज़्या**
1	2	3		4
घरेलू आपूर्ति	25 प्रतिशत	8	16	30
गैर-घरेलू आपूर्ति सामान्य के लिए	80 प्रतिशत	8	12	25
रेस्तरां, होटल तथा पट्रोल पज़्प, सिनेमाघरों के लिए	80 प्रतिशत	10	16	30
नर्सिंग होम तथा अस्पताल के साथ अंदरूनी नर्सिंग सुविधाएं, शॉपिग मॉल के लिए	80 प्रतिशत	14	20	30
एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति 20 किलोवाट तक लोड होने पर	80 प्रतिशत	8	16	25
20 किलोवाट से ऊपर लोड होने पर	80 प्रतिशत	8	20	25
बल्क आपूर्ति (एल.टी. पर)	50 प्रतिशत	12	20	30

उपभोक्ताओं की श्रेणी	लोड कारक	प्रतिदिन कार्य के घंटे की संज़्या ग्रामीण फीडर शहरी फीडर		प्रति महीने दिनों की संज़्या
1	2	3		4
बल्क आपूर्ति (एच.टी.पर)	80 प्रतिशत	12	20	30
पब्लिक लाईटिंग	100 प्रतिशत	10	10	30
एच.टी. औद्योगिक आपूर्ति निरन्तर प्रक्रिया उद्योग	80 प्रतिशत	8	20	30
सामान्य उद्योग	80 प्रतिशत	8	12	25

(I) 20 किलोवाट तक के लोड वाले बर्फ फैक्ट्री, बर्फ केन्डी, कोल्ड स्टोरेज और प्लास्टिक उद्योग के मामले में शहरी फीडर पर कार्य घंटों की संज़्या 20 घंटे प्रतिदिन मानी जाएगी।

(II) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए ग्रामीण फीडर को ऐसा फीडर माना जाएगा जहां प्रतिबंधित आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की मांग की पूर्ति के लिए आपूर्ति दी जाती है।

ए.पी. उपभोक्ता के मामले में आकलन :- चूंकि मौजूदा कृषि (बिना मीटर) दरें काफी ज्यादा सब्सिडी वाली हैं ए.पी. उपभोक्ताओं (मीटर और ज़्लेट दर) के लिए 2000 रूपये प्रति बी.एच.पी. की दर पर आकलन अवधि के दौरान बिल की गई राशि घटा कर आकलन किया जाएगा।

(4) **बिजली खपत शुल्क के बकाया के रूप में वसूलने योग्य आकलन की राशि। इन खंडों के तहत कार्यवाही के परिणामस्वरूप व्यक्ति से बकाया राशि बिजली खपत शुल्क का बकाया माना जाएगा जोकि हरियाणा सरकार बिजली उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम-1970 के तहत डिफाल्ट अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा सर्वोच्च ब्याज दरों पर ब्याज सहित वसूला जाएगा।**

(5) **आकलन शुल्क लगाना :- इन खंडो के तहत क्षतिपूर्ति शुल्क लगाना इन खंडों में या बिजली अधिनियम -2003 में पूर्व निर्दिष्ट या उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति विनियमित करने वाले किसी अन्य कानून में बिजली निगम के अन्य कोई कार्रवाई करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना होगा।**

(6) **अपराध का समझौता :-** बिजली अधिनियम -2003 के अनुभाग 152 के प्रावधान अनुसार उपभोक्ता को आकलन आदेश के साथ आपराधिक जिम्मेवारी से अपने आप को मुक्त करने के लिए (अनुग्लक-6) संलग्न फॉर्मेट के अनुरूप अपराध का समझौता करने का मौका दिया जाएगा। बिजली अधिनियम-2003

की धारा 152 में दी गई विभिन्न श्रेणियों के लिए निज़ दरों के अनुसार समझौता राशि स्वीकार करने के लिए हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संज्या 1/12/2003 –1 पावर दिनांक 9 दिसज़्बर, 2003 के अनुसार सज़्बन्धित एस.डी.ओ. ऑप्रेशन अधिकृत है।

सेवा का नाम	**दरें जिन पर निज़ दबाव (एल.टी.) आपूर्ति के लिए प्रति किलोवाट (के.डब्ल्यू)/हॉर्स पावर (एच.पी.) अथवा उसका भाग तथा उच्च दबाव (एच. टी.) के लिए अनुबंधित मांग का प्रति किलोवाट एज़ीयर (के.वी.ए.) पर समझौते के लिए धन की राशि वसूली जानी है।**
1. औद्योगिक सेवा	अनुबंध मांग का 20,000 प्रति के.वी.ए.
2. वाणिज्यिक सेवा	10,000 प्रति किलोवाट
3. कृषि सेवा	2000 प्रति बी.एच.पी.
4. अन्य सेवाएं	4000 प्रति किलोवाट

उपभोक्ता से प्राप्त की गई समझौता राशि अलग खाते में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। किन्तु बिजली चोरी के अपराध में समझौते की केवल एक बार अनुमति दी जाएगी।

उपभोक्ता जो अपराध समझौता करने को तैयार है, द्वारा बिजली चोरी के अपराध हेतु समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति अनुलग्नक–7 में संलग्न फोर्मेट पर ली जाएगी।

अनुलग्नक-1

(बिजली अधिनियम -2003 की धारा 135 के तहत चोरी के अपराध के लिए लाईसैंसधारी द्वारा आकलन आदेश।)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रेषक

---------- (आकलन अधिकारी का पद और पता)

सेवा में,

श्री ---------- (उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम और पूरा पता)

यादि क्रमांक :- **दिनांक :-**

विषय :- **बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत चोरी के अपराध के लिए लाईसैंसधारी द्वारा आकलन आदेश।**

श्रीमान/श्रीमती जी,

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकृत निरीक्षण अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा जांच दल के साथ दिनांक . . . .को . . . . . (प्रातः/सांय) बजे आपके परिसर का निरीक्षण किया गया। जांच दल और उपभोक्ता परिसर का विवरण . . . . . .निज़लिखित है:-

(जांच दल का विवरण)

क्रमांक संज़्या	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम**	**पद**
1.		
2.		
3.		

(उपभोक्ता परिसर का विवरण)

क्रमांक संज़्या	**वर्णन**	**विवरण**
1.	उपभोक्ता खाता संज़्या	
2.	उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम	

3.	उपभोक्ता का पता	
4.	उपमण्डल/मण्डल/सर्कल	
5.	कनैक्शन की श्रेणी	
6.	स्वीकृत लोड और अनुबन्ध मांग	
7.	मीटर प्रकार, आकार (बनावट)और मीटर क्रमांक संज़्या	
8.	कोई अन्य विवरण	
9.	ऊर्जा चोरी के तरीके के विवरण के साथ स्थान पर पाया गया वास्तविक लोड (किलोवाट)	

उपरोक्त निरीक्षण के दौरान, बिजली चोरी के (कृत्य)/बेईमानी से बिजली के उपयोग के निज़्नलिखित कृत्य पाया गया/पाए गए :-

---

ऐसे निरीक्षण के समय उपस्थित आपको/श्री . .. . को निरीक्षण तथा बरामदगी ज्ञापन सौंपा गया।

या

ऐसे निरीक्षण के समय उपस्थित श्री. . . . . तथा श्री. . . . . की उपस्थिति में निरीक्षण तथा बरामदगी ज्ञापन आपके परिसर पर चिपका दिया गया तथा पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत आप बिजली चोरी में संलिप्त रहे हैं। तदनुसार आप द्वारा बिजली चोरी के इस कृत्य से आपने निगम को घाटा किया है, आकलित राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रमांक संज़्या	**शुल्कों का विवरण**	**राशि (रूपये में)**
1.	बिजली चोरी के लिए लाईसैंसधारी द्वारा आकलन	
2.	शुल्क शैड्यूल से सज़्बन्धित अन्य कोई लागू शुल्क	
3.	कुल देय राशि	

आपको सूचित किया जाता है कि :-

1. आपूर्ति बहाली के लिए आप आकलन स्वीकृत करके 100 प्रतिशत आकलन राशि निगम में जमा करवा सकते हैं। पूरी राशि जमा करवाने के 48 घंटे के अंदर आपूर्ति बहाल की जाएगी।

2. डिफाल्ट के मामले में, आप भारतीय रिजर्व बैंकके मौजूदा सर्वोच्च ब्याज दर के आधार पर चूक समय के लिए ब्याज भुगतान के उत्तरदायी होंगे।

3. आगे सूचित किया जाता है कि बिजली चोरी अपराध के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एक लिखित शिकायत बिजली चोरी अपराध के संज्ञान के लिए पुलिस/उपयुक्त न्यायालय में दायर की गई है।

आकलन अधिकारी की मोहर
व हस्ताक्षर

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित :-</u>

1. स्थान निरीक्षण रिपोर्ट संज्या . . . . . .दिनांक. . . . . के संदर्भ सहित निदेशक (वी. एण्ड एस. अर्थात सतर्कता व सुरक्षा) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, पंचकूला।
2. अधीक्षक अभियंता, परिचालन सर्कल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम. . . ..।
3. कार्यकारी अभियंता, परिचालन मण्डल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम. . . .।

अनुलग्नक–2

(बिजली अधिनियम –2003 की धारा 135 के तहत चोरी के अपराध के लिए नोटिस ।)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रेषक

---------- (निरीक्षण अधिकारी का नाम और पद)

सेवा में,

श्री---------- (उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम व पता)

(पूरा पता)

यादि क्रमांक :- **दिनांक :-**

विषय :- संदिग्ध चोरी के लिए नोटिस ।

श्रीमान/श्रीमती जी,

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकृत निरीक्षण अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा जांच दल के साथ दिनांक . . . . . को . . . . . (प्रात:/सांय) बजे आपके परिसर का निरीक्षण किया गया। जांच दल और उपभोक्ता परिसर का विवरण. . . . . निम्नलिखित है:-

(जांच दल का विवरण)

क्रमांक संख्या	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम**	**पद**
1.		
2.		
3.		

(उपभोक्ता परिसर का विवरण)

क्रमांक संख्या	**वर्णन**	**विवरण**
1.	उपभोक्ता खाता संख्या	
2.	उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम	

3.	उपभोक्ता का पता	
4.	उपमण्डल/मण्डल/सर्कल	
5.	कनैक्शन की श्रेणी	
6.	स्वीकृत लोड और अनुबन्ध मांग	
7.	मीटर प्रकार, आकार और मीटर क्रमांक संज़्या	
8.	कोई अन्य विवरण	
9.	ऊर्जा चोरी के तरीके के विवरण के साथ स्थान पर पाया गया वास्तविक लोड (किलोवाट)	

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों ने आपके परिसर का निरीक्षण किया तथा निज़लिखित मुज़्य कमियां दृष्टिगोचर हुई :-

---

उपरोक्त प्रथम दृष्टया बिजली चोरी के अपराध को इंगित करता है। आप बिजली अधिनियम-2003 के प्रावधान अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

अत: आपकों अपने गत बारह मास के भुगतान किए गए बिलों के विवरण सहित का कारण बताने के लिए बुलाया जाता है और आप यह भी बताए कि क्यों ने आपके विरूद्ध बिजली चोरी का मामला दर्ज करवाया जाए। ऐसे में आप अपना जवाब. . . . . (नाम और नामित अधिकारी) को दिनांक . . . . . कार्यालय बंद होने से पहले दे सकते हैं। आगे यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हैं तो आपको दिनांक. . . . . को . . . . . बजे प्रात:/सांय पर सर्विस कनैक्शन से सज़्बन्धित उचित रिकॉर्ड/दस्तावेज सहित अपनी बात. . . . . (नाम एवं नामित अधिकारी के समक्ष) रखने का मौका भी दिया जाता है।

कृपया ध्यान रखें कि यदि आप उपरोक्त मौके को गंवाते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि आपके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है और नियमों और लागू प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप आगामी कार्रवाई की जाएगी।

आकलन अधिकारी की
मोहर व हस्ताक्षर

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित :-</u>

1. स्थान निरीक्षण रिपोर्ट संज़्या . . . . . दिनांक . . . . . के संदर्भ सहित निदेशक (वी. एण्ड एस.) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, पंचकूला।
2. अधीक्षक अभियंता, परिचालन सर्कल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम. . .. . . ।
3. कार्यकारी अभियंता, परिचालन मण्डल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम. .. . . . .।

अनुलग्नक-3

(बिजली अधिनियम -2003 की धारा 135 के तहत चोरी के अपराध के लिए लाईसैंसधारी द्वारा आकलन का अंतिम आदेश।)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रेषक

---------- (आकलन अधिकारी का पद और पता)

सेवा में,

श्री---------- (उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम व पता)

(पूरा पता)

यादि क्रमांक :- **दिनांकः -**

विषय :- बिजली अधिनियम -2003 की धारा 135 के तहत चोरी के अपराध के लिए लाईसैंसधारी द्वारा आकलन का अंतिम आदेश।

श्रीमान/श्रीमती जी,

निगम के अधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा बिजली चोरी अपराध के लिए दिनांक . . . . . को किए गए निरीक्षण और संदिग्ध चोरी के नोटिस यादि क्रमांक. . . . . दिनांक. . . . . .द्वारा भेजे गए संदिग्ध चोरी के संदर्भ में ।

संदिग्ध चोरी के नोटिस के संदर्भ में आपके आवेदन-पत्र में दिनांक. . . . . और श्री . . . . . द्वारा दिनांक. . . . .. .को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए तथ्यों को निम्न प्रकार से विचारा गया है :-

क्रमांक संख्या	**उपभोक्ता का प्रस्तुतीकरण**	**दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का उत्तर**
1.		
2.		
3.		

या

आपसे न कोई लिखित उत्तर प्राप्त हुआ और न ही आप व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश हुए।

उपरोक्त के ध्यानार्थ और यदि लागू है[. . . . . और. . . . . तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि (यदि उपस्थित था) की उपस्थिति में दिनांक . . . . . को मीटरिंग उपकरणों का निरीक्षण एम.एण्ड टी. प्रयोगशाला में किया गया] जिसका निष्कर्ष निम्नलिखित है :-

---

---

(1) जांच के बाद चोरी का मामला नहीं बना, या

(2) उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि बिजली अधिनियम-2003 की धारा-135 के तहत आप बिजली चोरी में संलिप्त रहे हैं। तदनुसार, बिजली चोरी करने के लिए किया गया आकलन का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रमांक संख्या	शुल्क का विवरण	राशि (रूपये में)
1.	बिजली चोरी के लिए आकलन	
2.	शुल्क-शैड्यूल से सम्बन्धित अन्य कोई लागू शुल्क	
3.	कुल देय राशि	

आपको सूचित किया जाता है कि :-

1. यदि आप आपूर्ति बहाली चाहते है तो आपूर्ति बहाली के लिए आपको 100 प्रतिशत आकलन राशि निगम में जमा करवानी होगी। पूरी राशि जमा होने के 48 घंटे के अंदर आपूर्ति बहाल की जाएगी।
2. डिफाल्ट के मामले में आप भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा सर्वोच्च ब्याज दर के आधार पर चूक समय के लिए ब्याज भुगतान के उत्तरदायी होंगे।
3. आगे सूचित किया जाता है कि बिजली चोरी अपराध के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एक लिखित शिकायत बिजली चोरी अपराध के संज्ञान के लिए पुलिस/उपयुक्त न्यायालय में दायर की गई है।

आकलन अधिकारी की मोहर
व हस्ताक्षर

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित :-</u>

1. स्थान निरीक्षण रिपोर्ट संख्या . . . . . .दिनांक. . . . . के संदर्भ सहित निदेशक (वी. एण्ड एस.-सतर्कता व सुरक्षा) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, पंचकूला।
2. अधीक्षक अभियंता, परिचालन सर्कल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम. . . . . ।
3. कार्यकारी अभियंता, परिचालन मण्डल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम. . .. . . . ।

अनुलग्नक-4

(बिजली चोरी अधिनियम -2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम, 2003 तथा बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 की धारा 135 के तहत चोरी के अपराध के लिए व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत दर्ज करना)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी,
परिचालन उपमण्डल,

. . . . . डी.एच.बी.वी.एन.एल.।

सेवा में,

स्टेशन हाऊस अधिकारी,
पुलिस थाना. . . . . .

मैमो संज्या :- **दिनांक :-**

विषय :- . . . . . के विरूद्ध शिकायत दर्ज करना।

श्रीमान/श्रीमती जी,

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा जांच दल के साथ दिनांक . . . . .को . . . . . (प्रातः/सांय)समय पर श्री. . . . .के परिसर का निरीक्षण किया गया । जांच दल और उपभोक्ता परिसर का विवरण निज़लिखित दिया गया है :-

(जांच दल का विवरण)

क्रमांक संज्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद
1.		
2.		
3.		

(उपभोक्ता परिसर का विवरण)

क्रमांक संज्या	वर्णन	विवरण
1.	उपभोक्ता खाता संज्या	
2.	उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम	
3.	उपभोक्ता का पता	
4.	उपमण्डल/मण्डल/सर्कल	
5.	कनैक्शन की श्रेणी	

6.	स्वीकृत लोड और अनुबन्ध मांग	
7.	मीटर प्रकार, आकार (बनावट) और मीटर क्रमांक संज़्या	
8.	कोई अन्य विवरण	

. . . . . (स्थान के अधिभोक्ता/व्यस्क पुरूष सदस्य/स्थान के मालिक) की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

उपरोक्त निरीक्षण के दौरान बिजली चोरी/बेईमानी के निज़लिज़ित कृत्य संज्ञान में आए :-

---

इस निरीक्षण के समय उपस्थित रहे श्री . . . . . .को निरीक्षण और बरामदगी का ज्ञापन विधिवत रूप से सौंपा गया।

अथवा

इस निरीक्षण के समय उपस्थित रहे श्री . . . . और श्री. .. . . . . .की उपस्थिति में परिसर पर निरीक्षण और बरामदगी ज्ञापन चिपकाया गया और इसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते है कि बिजली अधिनियम-2003 के धारा 135 के तहत श्री. . . . . .बिजली चोरी में संलिप्त रहे हैं। तदनुसार आप द्वारा बिजली चोरी करने के कारण निगम को हुए घाटे की आकलन राशि का विवरण निज़लिखित है :-

क्रमांक संज़्या	**शुल्कों का विवरण**	**राशि (रूपये में)**
1.	ऊर्जा शुल्क (एस.ओ.पी.-ऊर्जा विक्रय)	
2.	बिजली ड्यूटी (ई.डी.)	
3.	नगरपालिका कर	
4.	पहले से जमा की गई बिल की राशि	
5.	कोई अन्य सज़्बन्धित शुल्क	
6.	कुल देय राशि	

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि . . . . . (ऊपर दिया गया नाम व पूरा पता)उपरोक्त दिए गए अपराध/अपराधों में संलिप्त रहा है जिस कारण निगम को . . . . रूपये का राजस्व घाटा हुआ है।

तदनुसार आपसे अनुरोध है कि बिजली अधिनियम-2003 की धारा-151 सहित धारा-135 के तहत उपरोक्त व्यक्ति के विरूद्ध इस कार्यालय को सूचित करते हुए एक शिकायत दर्ज करें।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता बिजली चोरी के अपराध हेतु . . . . बार दोषी पाया गया।

प्रति संलग्न :-

बरामदगी के साथ निरीक्षण के ज्ञापन की प्रति,
फोटो वीडियो रिकॉर्ड की गई वीडियो की सी.डी.

उपमण्डल अधिकारी परिचालन,
उपमण्डल कार्यालय ,
डी.एच.बी.वी.एन.एल.. . . . . .।

प्रति अग्रेषित :-

1. पुलिस अधीक्षक. . . . . ।
2. महाप्रबन्धक (परिचालन) सर्कल, डी.एच.बी.वी.एन.एल.. . . . . .।
3. उपमहाप्रबन्धक (परिचालन) मण्डल, डी.एच.बी.वी.एन.एल.. . . . . .।

अनुलग्नक-5

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में . . . .
2007 की शिकायत संज़्या. . . ..

के मामले में

कज़्नी अधिनियम-1956 के तहत गठित एक कज़्नी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय विद्युत सदन, विद्युत नगर, हिसार है, इसके अधिकृत प्रतिनिधि, अधिकारी के माध्यम से

शिकायतकर्त्ता. . . . .

बनाम

उपभोक्ता का नाम . . . . . .

पता. . . . . ..

खाता संज़्या . . . . . .(यदि पंजीकृत उपभोक्ता है)

डी.ओ.आई (निरीक्षण तिथि)

और इस मामले में :-

बिजली अधिनियम-2003 और बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 की धारा-151 के साथ धारा-135 के तहत शिकायत दर्ज करवाना।

माननीय, मैं

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का . . . . . (बिजली अधिनियम-2003 की धारा-135 के तहत अधिकृत अधिकारी) पदनाम द.ह.बि.वि.नि. पर कार्यरत को विश्वस्त सूत्रों से सूचना /शिकायत प्राप्त होने पर कि उपरोक्त पत्ते पर जहां व्यक्ति, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का पंजीकृत उपभोक्ता है/नहीं है/ या उपभोक्ता की मिलीभगत या सहमति से स्थान . . . . . .समय. . . .. . पर बिजली का बेईमानी से उपभोग कर रहा है। एक जांच दल का गठन किया जिसमें

क्रमांक संज़्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद
1.		
2.		
3.		

दल के सदस्य थे ।

उपभोक्ता परिसर का विवरण नीचे दिया गया है:-

(उपभोक्ता परिसर का विवरण)

क्रमांक संज़्या	विवरण	ब्यौरा
1.	उपभोक्ता खाता संज़्या	
2.	उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम	
3.	उपभोक्ता का पता	

4.	उपमण्डल/मण्डल/सर्कल	
5.	कनैक्शन की श्रेणी	
6.	स्वीकृत लोड और अनुबन्ध मांग	
7.	मीटर प्रकार, आकार और मीटर क्रमांक संज्या	
8.	कोई अन्य विवरण	
9.	ऊर्जा चोरी के तरीके के विवरण के साथ स्थान पर पाया गया वास्तविक लोड (किलोवाट)	

. . . . . .की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया था। (स्थान का अधिभोक्ता/व्यस्क पुरूष सदस्य/स्थान का मालिक) उपरोक्त निरीक्षण के दौरान बिजली चोरी/बेईमानी के निज़लिज़ित कृत्य संज्ञान में आए :-

---

इस निरीक्षण के समय उपस्थित रहे श्री . . . . . .को निरीक्षण और बरामदगी का ज्ञापन विधिवत रूप से सौंपा गया।

अथवा

इस निरीक्षण के समय उपस्थित रहे श्री . . . . और श्री. .. . . . . की उपस्थिति में परिसर पर निरीक्षण और बरामदगी ज्ञापन चिपकाया गया और इसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत श्री . . . . . .(ऊपर दिया गया नाम व पूरा पता) उपरोक्त जुर्म में संलिप्त रहा था जिसके कारण निगम को.. . . . . .रूपये का राजस्व घाटा हुआ। आकलन की राशि का विवरण निज़लिखित है :-

क्रमांक संज्या	**प्रभारों का विवरण**	**राशि (रूपये में)**
1.	बिजली चोरी के लिए आकलन	
2.	शुल्क-शैड्यूल से सज़ब्न्धित कोई अन्य उपयुक्त लागू शुल्क	
3.	कुल देय राशि	

अत: उपरोक्त पते पर चूंकि बेईमानी से बिजली की खपत पाई गई, यह वह व्यक्ति है . . . . .. जो उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत है/नहीं है, जो बिजली अधिनियम-2003 की धारा-135 के तहत बिजली चोरी के अपराध के लिए उत्तरदायी है। छापा मारने के बाद छापामार दल ने मेन से आपूर्ति बंद कर दी तथा तार/छेड़छाड़ किया हुआ मीटर हटा लिया और इन्हें गवाहों की उपस्थिति में कब्जे में ले लिया व उसी स्थान पर इस सज़ब्न्ध में एक अलग बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया। पुन: मेन से काटी गई तार या हटाये गए छेड़छाड़ वाले मीटर को दर्शाती हुई फोटो पुन: ली गई। उक्त अपराध उपभोक्ता की सहमति या मिलीभगत से या उस की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण किया गया है। इस प्रकार वह/वे स्वयं अपराध के लिए उत्तरदायी बनते हैं। वर्तमान में शिकायत इसलिए दर्ज करवाई जा रही है क्योंकि मैं अपराध के उत्तरदायित्व के बारे में संतुष्ट हूं तथा मैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए व की ओर से कार्य कर

रहा हूं तथा अवैध बिजली उपयोग से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिकृत हूं तथा यह शिकायत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के आदेश पर की गई है और इस शिकायत को दर्ज करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की अलग से मंजूरी या सहमति की आवश्यकता नहीं है। आगे सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता. . . . . .बार बिजली चोरी के लिए दोषी ठहराया गया।

प्रार्थना

(क) अत: विनम्र प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय बिजली अधिनियम-2003 की धारा-135, धारा-138 व अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कृपया बिजली चोरी को संज्ञान में ले तथा प्रतिवादी/अभियुक्त के विरूद्ध उचित सम्मन/प्रक्रिया जारी करें और उक्त अपराधों के लिए जांच करवाएं।

(ख) इसके अतिरिक्त इन अपराधों के परिणामस्वरूप शिकायतकर्त्ता कम्पनी को हुए नुकसान के अधिनिर्णय के लिए उचित निर्देश जारी करें।

(ग) ऐसे अन्य या पूरक आदेशों व निर्देश जैसा यह माननीय न्यायालय सही माने भी पारित किया जाए।

(शिकायतकर्त्ता)

माध्यम

(शिकायतकर्त्ता का अधिवक्ता)

स्थान. . . ..

दिनांक. . . .

पता. . . . .

अनुलग्नक-6

(बिजली अधिनियम -2003 की धारा 135 और धारा 152 के तहत बिजली चोरी अपराध समझौता के लिए लाईसैंसधारी द्वारा उपभोक्ता को नोटिस।)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रेषक

---------- (आकलन अधिकारी का पद और पता)

सेवा में,

श्री---------- (उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम व पूरा पता)

यादि क्रमांक :- **दिनांकः -**

विषय :- बिजली अधिनियम -2003 की धारा 135 और धारा 152 के तहत बिजली चोरी अपराध समझौता के लिए लाईसैंसधारी द्वारा उपभोक्ता को नोटिस।

श्रीमान/श्रीमती जी,

इस कार्यालय के आकलन आदेश जो यादि क्रमांक. . . . . दिनांक . . . . .द्वारा जारी किया गया जिसके द्वारा लाईसैंसधारी द्वारा आकलन के आदेश जारी किये गये हैं के संदर्भ में , इस सञ्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि बिजली अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार अपराध को संज्ञान में लेने के लिए एक शिकायत पुलिस/विशेष न्यायालय में दर्ज करवाई गई है/निगम द्वारा करवाने पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में आप अपने आपको अपराधिक दायित्व से दोष मुक्त करना चाहते हैं तो आप . .. . (समझौता अधिकारी का नाम व पद) के समक्ष आवश्यक प्रार्थना दें। समझौते की राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

---

आकलन अधिकारी की
मोहर व हस्ताक्षर

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित :-</u>

1. स्थान निरीक्षण रिपोर्ट संज्या . . . . . .दिनांक. . . . . के संदर्भ सहित निदेशक (वी. एण्ड एस.-सतर्कता व सुरक्षा) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, पंचकूला।
2. अधीक्षक अभियंता, परिचालन सर्कल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम.. .. . ।
3. कार्यकारी अभियंता, परिचालन मण्डल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम. . . .।

अनुलग्नक-7

(उपभोक्ता द्वारा बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 और धारा 152 के अन्तर्गत बिजली चोरी अपराध समझौते के लिए सहमति पत्र प्रारूप।)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रेषक

---------- (आकलन अधिकारी का पद और पता)

सेवा में,

श्री---------- (उपभोक्ता/व्यक्ति का नाम व पूरा पता)

यादि क्रमांक :- **दिनांकः -**

विषय :- उपभोक्ता द्वारा बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 और धारा 152 के अन्तर्गत बिजली चोरी अपराध समझौते के लिए सहमति पत्र ।

श्रीमान/श्रीमती जी,

मुझे यादि क्रमांक. . . . . दिनांक. . . . . प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूं । मैं आगे प्रस्तुत करता हूं कि मैं निगम प्राधिकारी की ओर से बिना किसी दबाव या विवशता के अपराध का समझौता स्वेच्छा से करता हूं।

(उपभोक्ता का नाम)
उपभोक्ता के हस्ताक्षर

स्थान : . . . . . .

दिनांक : . . . . . .

( )

निगम के समझौता अधिकारी
द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
विद्युत सदन, विद्युत नगर, हिसार -125005

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-53/2007

प्रेषक,

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/परिचालन, वरिष्ठ फोरमैन,उपकार्यालय प्रभारी.

यादि क्रमांक-चेन/53/जी.एम./कमर्शियल/आर.-16/139/04 दिनांक :-5/10/2007

विषय:- **बिजली अधिनियम -2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम (2003) तथा बिजली (संशोधन) बिजली (संशोधन) अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश।**

यह परिपत्र उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के सेल्ज परिपत्र-डी-43/2007 की निरन्तरता पर है। निगम के प्रबन्धन ने इस सेल्ज परिपत्र की समीक्षा की है और निज़ वर्णित सीमा तक परिपत्र में संशोधन का निर्णय लिया है।

''चोरी पकड़े जाने पर जो उपभोक्ता चोरी राशि सहित समझौता राशि जमा कराने के लिए आगे आता है, उसके विरूद्ध प्रथम अपराध में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज न करवाई जाए।'' उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन हेतु सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाया जाए।

महाप्रबन्धक /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या डी-6/2009

प्रेषक,

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि.लि. के सभी मुज़्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक
महाप्रबन्धक/परिचालन,वरिष्ठ फोरमैन, उप-कार्यालय प्रभारी.

यादि क्रमांक-चेन/6/जी.एम./कमर्शियल/आर.-16/139/04 दिनांक :- 25/8/2009

विषय:- **बिजली अधिनियम -2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम (2003) तथा बिजली (संशोधन) बिजली (संशोधन) अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश।**

उपरोक्त विषय पर सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2007 जो इस कार्यालय के यादि क्रमांक चेन-43/जी.एम./कमर्शियल/आर.-16/139/04 दिनांक 20/07/2007 द्वारा जारी किया गया, के संदर्भ में ।

मसौदे की आगे समीक्षा की गई है और निगम ने संज़्या-।। (12 क) के उप-खंड (ड), '' **शिकायत दर्ज करवाना**'' के अंतिम अनुच्छेद में संशोधन का निर्णय लिया है। जो निज़लिखित है :-

'' **पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के मामले में अधिकृत अधिकारी को विशेष न्यायालय में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।**''

विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक से पूर्व स्वीकृति का प्रावधान हटा दिया गया है।

सेल्ज परिपत्र संज़्या-43/2007 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन हेतु सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाया जाए।

महाप्रबन्धक /वाणिज्यिक,
कृते: मुज़्य महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-5/2010

प्रेषक,

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि.लि. में, सभी मुज़्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/परिचालन,उप-कार्यालय प्रभारी, वरिष्ठ फोरमैन।

यादि क्रमांक-चेन/5/एस.ई./कमर्शियल/आर.-17/139/2004/वोल्यूम-।।
दिनांकः- 17/06/2010

विषयः- उपभोक्ता द्वारा श्रेणी परिवर्तन के मामलों से निपटने हेतु निर्देश -स्पष्टीकरण।

बिजली अधिनियम-2003 जो बिजली (संशोधित) अधिनियम-2007 के तहत संशोधित किया गया है के अन्तर्गत बिजली चोरी व बिजली के अनाधिकृत उपयोग/संदिग्ध बिजली की चोरी के मामलो से निपटने सज़्बन्धी विस्तृत निर्देश, सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2007 जो यादि क्रमांक चेन-43/जी.एम./कमर्शियल/आर.-16/139/04 दिनांक 20/07/2007 द्वारा भेजा गया था, जारी किए गए थे। निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुद्दे उठाए जाने पर मसौदे की समीक्षा की गई और निज़्न प्रकार से स्पष्ट करने का निर्णय लिया है :-

1. अधिनियम की धारा -135 के तहत परिभाषित सज़ी बिजली के मामले जो प्रमाणों के साथ मंडित किए गए हैं, उप-खंड (ड) (बिजली का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया गया है, इसके अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग) को छोड़कर को बिजली की चोरी के मामले माना जाएगा और उन्हें तद्नुसार निपटाया जाए।

2. उक्त परिपत्र के खंड -(।।) के उप-खंड-5 में उद्धरित मामलों, ''संदिग्ध बिजली की चोरी'' के मामले माना जाएगा और इस परिपत्र के खंड -(।।) के उप-खंड-12(ख) में दिए गए तरीके से निपटाए जाएंगे।

3. **गैर आवासीय क्षेत्रों में** अधिकृत किए गए उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए बिजली के उपयोग के मामले में जहां स्वीकृत भार का **5 प्रतिशत से ज्यादा** भार अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग किया पाया जाता है, उसे बिजली चोरी का मामला माना जाएगा तथा तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी। किन्तु जहां मीटर की कार्यप्रणाली ठीक पाई जाती है, वहां खपत की गई यूनिटों का आकलन नहीं किया जाएगा किन्तु आकलन के उद्देश्य हेतु मीटर में दर्ज यूनिटों को लिया जाएगा।

   ऐसे मामले में जहां स्वीकृत भार का **5 प्रतिशत तक** अधिकृत उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करते पाया जाता है, उसे प्रथम बार 'बिजली का अनाधिकृत उपयोग' का मामला मानकर निपटाया जाएगा तथा उपभोक्ता को उसके लिए अलग कनैक्शन लेने की सलाह दी जाएगी, ऐसा न करने पर इसे बिजली की चोरी का मामला माना जाएगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. रिहायशी क्षेत्रों में घरेलू से अन्य श्रेणी में श्रेणी परिवर्तन का मामला पकड़ा जाने पर जहां रिहायशी भवन के एक छोटे भाग में (कनेक्टिड लोड का 5 प्रतिशत तक लोड)दूसरे उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग किया

जा रहा है, तब अनाधिकृत उपयोग यानि घरेलू से अन्य श्रेणी में श्रेणी परिवर्तन के मामले में घर के उक्त भाग में उपयोग हुई बिजली के लिए समानुपातिक आधार पर आकलन किया जाएगा न कि पूरे रिहायशी भवन के लिए। पकड़े जाने पर उपभोक्ता को घर के उक्त भाग के लिए अलग स्वीकृत श्रेणी कनैक्शन लेने के लिए कहा जाएगा। ऐसा न करने पर उसे बिजली चोरी का मामला माना जाएगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी। किन्तु जहां मीटर की कार्यप्रणाली अनुज्ञेय (अनुमति दी गई थी) सीमा के अंदर नहीं पाया जाता है या मीटर के साथ छेड़छाड़ की हुई पाई जाती है तो उक्त परिपत्र के खंड-।।। (घ) के अन्तर्गत यूनिटों की मात्रा का आकलन किया जाए।

5. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां एक आवासीय भवन किराये पर है (पूरी तरह या आंशिक रूप से) और किराये वाले भाग का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य जैसे कि छात्रों या कार्यरत कर्मचारियों आदि द्वारा के लिए किया जा रहा या अन्यथा घरेलू आपूर्ति के लिए शुल्क सूची के तहत स्वीकृत है, ऐसा मामला केवल घरेलू आपूर्ति श्रेणी का माना जाएगा। किन्तु **भवन जिसका सञ्पूर्ण उपयोग केवल गैस्ट हाऊस/हॉस्टल** के रूप में किया जा रहा है चाहे वह भवन आवासीय क्षेत्र में स्थित हो, उसको अधिनियम के खंड-135 (ड)के अन्तर्गत अधिकृत किए गए उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए बिजली उपयोग का मामला माना जाएगा और उसी के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

6. बिजली अधिनियम-2003 की धारा -126 के अन्तर्गत संदिग्ध बिजली चोरी तथा/या अनाधिकृत बिजली उपयोग के मामलों में उसी प्रक्रिया का सख़्ती से अनुसरण किया जाएगा जो सामयिक आकलन को भेजने, सामयिक आकलन के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उपभोक्ता को अनुमति देने, सुनवाई के लिए मौका देने और आकलन अधिकारी द्वारा आदेश देने के लिए (पारित करने के लिए) किया जाता है।

7. केवल लोड में अनाधिकृत बढ़ोतरी (बिना मीटर वाले कृषि नलकूप कनैक्शन को छोड़कर) के लिए बिजली चोरी या बिजली के अनाधिकृत उपयोग का मामला नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में अनाधिकृत रूप से बढ़ाए गए लोड के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। किन्तु किसी परिसर या क्षेत्र में बिजली का उपयोग, अधिकृत उद्देश्य के लिए बिजली आपूर्ति को छोड़कर 'बिजली का अनाधिकृत उपयोग ' माना जाएगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि मीटर की कार्यप्रणाली सीमा के भीतर पाई जाती है और बिजली की आपूर्ति मीटर के माध्यम से हो रही है तो यूनिटों का आकलन पुन: नहीं किया जाएगा।

बिक्री परिपत्र संख़्या डी-43/2005,डी-43/2007 और डी-9/2009 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता हैं।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन हेतु सभी सञ्बन्धित के संज्ञान में लाया जाए।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-6/2010

प्रेषक,

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि.लि. में सभी मुज़्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/परिचालन, उप-कार्यालय प्रभारी, वरिष्ठ फोरमैन।

यादि क्रमांक -चेन/6/जी.एम./कमर्शियल/आर.-16/139/04/वोल्यूम-।।
दिनांक:-23/8/2009

विषय:- **बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम (2003) तथा बिजली (संशोधन) अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश - उस विषय में संशोधन :-**

बिजली चोरी के मामले से निपटने के लिए सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2007 दिनांक 20/7/07 के तहत निर्देश प्रचारित किए गए थे (भेजे गए थे)। क्षेत्रीय कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि निरीक्षण दल या आकलन अधिकारी द्वारा गलती से चोरी का मामला बनाए जाने पर उपभोक्ता के पास बचाव का कोई उपाय नहीं है, मसौदे की समीक्षा की गई तथा निर्णय लिया गया कि सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2007 के खंड-।। के उप-खंड-12क (ख) को निज़ानुसार बदला जाए।

''खंड-।। (13) के अनुसार निगम का अधिकृत आकलन अधिकारी परिसर के निरीक्षण के दो दिन के भीतर लाईसैंसधारी द्वारा आकलन का आदेश खंड-।।। के प्रावधानों के तहत उचित पावती (अनुलग्नक-।) द्वारा उपभोक्ता को जारी करेगा।'' किसी मामले में उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृति या प्राप्ति देने से इनकार करने पर दो गवाहों की उपस्थिति में एक प्रतिलिपि को विशिष्ट स्थान/परिसर के बाहर चिपकाना चाहिए। इसके साथ ही आदेश पंजीकृत डाक द्वारा उपभोक्ता को भेजना होगा।

किसी भी उपभोक्ता को जिसे बिजली चोरी के आकलन आदेश दिए गए हैं, आदेश जारी होने के दस दिनों के अंदर अपनी आपत्ति सहित (यदि कोई है)आकलन अधिकारी को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। यदि उपभोक्ता से दस दिनों के अंदर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो आकलन को अंतिम माना जाएगा और उपभोक्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने का आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता से ऐसी आपत्ति दस दिन के अंदर प्राप्त होती है तो आकलन अधिकारी उपभोक्ता से प्राप्त आपत्तियों को दो दिन के अंदर उपभोक्ता द्वारा दायर आपत्तियों और अपनी टिप्पणियों सहित नोडल अधिकारी मुज़्य महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक, द.ह.बि.वि.नि., हिसार के कार्यालय में निदेशक/परिचालन, मुज़्य महाप्रबन्धक /वाणिज्यिक और मुज़्य महाप्रबन्धक/लेखापरीक्षा की समिति के समक्ष रखने के लिए सज़्पूर्ण मामला भेजेगा। यदि आवश्यक हो तो समिति उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दे तत्पश्चात आकलन अधिकारी से मामला प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अंतिम आदेश जारी करें । समिति द्वारा पारित अंतिम आदेश के आधार पर सज़्बन्धित अधिकृत आकलन अधिकारी द्वारा आकलन नोटिस उपभोक्ता को भेजा जाएगा। समिति द्वारा पारित आदेश की अवहेलना के मामले में आपूर्ति कटी रहेगी।

उपरोक्त निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे किन्तु ऐसे मामले, जिन पर ये निर्देश जारी होने की तारीख तक निर्णय नहीं लिया गया है, पर भी समिति द्वारा विचार व निर्णय किया जा सकता है।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि. हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-9/2010

प्रेषक,

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि.लि. केसभी मुज़्य अभियंता /अधीक्षक अभियंता /कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता/परिचालन, उप-कार्यालय प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता-1 ।

यादि क्रमांक-चेन/9/जी.एम./कमर्शियल/आर.-17/139/04/वोल्यूम-।।
दिनांक :- 2/8/2010

विषय:- बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम (2003) तथा बिजली (संशोधन) अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश ।

बिजली की चोरी के मामले से निपटने के लिए बिजली अधिनियम-2003 की धारा-135 और बिजली संशोधन अधिनियम-2007 के अन्तर्गत सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2007 के तहत विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे, परन्तु यह देखा गया है कि बड़ी संज़्या में बिजली चोरी के मामले खंड-135 (ड) (बिजली उपयोग के अधिकृत उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग) के अन्तर्गत बनाए जा रहे हैं।

निगम ने चाहा है कि बिजली संशोधन अधिनियम-2007 की धारा-135 (क), 135 (ख), 135(ग) और 135(घ) में बिजली चेारी की परिभाषा, जो नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है, में से बिजली चोरी के मामले बनाए जाने पर बल दिया जाए:-

(क) लाईसैंसधारी या आपूर्तिकर्त्ता की ओवरहैड, भूमिगत या जलगत बिजली लाईनों या केबलों या सेवा तारों या सेवा सुविधाओं के साथ कनैक्शन करता है, या जोड़ता है या कनैक्शन का कारण बनाता है।

(ख) मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किए हुए मीटर को लगाता या उपयोग करता है कंरट रिवरसिंग ट्रांसफार्मर,लूप कनैक्शन या कोई अन्य उपकरण या विधि जो सही या उचित पंजीकरण ,कैलीब्रेशन बिजली के कंरट मीटरिंग को अवरूद्ध करता है, या किसी अन्य प्रकार से ऐसे किसी कृत्य का परिणाम बनता है जिससे बिजली चोरी की जाती है या व्यर्थ जाती है।

(ग) बिजली मीटर संयंत्र, उपकरण या तार को नुकसान पहुंचाता या नष्ट करता है या कारण बनता है या इनमें से किसी को भी नुकसान अथवा नष्ट होने का अनुमोदन करता है (होने देता है) जिसके परिणामस्वरूप बिजली की सही व वास्तविक पैमाईश अवरूद्ध होती है।

(घ) छेड़छाड़ किए हुए मीटर के माध्यम से बिजली उपयोग करता है।

यह भी सलाह दी जाती है आकलन नोटिस में सही खंड जिसके तहत मामला बनाया गया है उल्लेखित किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल धारा-135 का उल्लेख किया जा रहा है।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाए।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या -13/2010

प्रेषक,

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि.लि. के सभी मुज़्य अभियंता /अधीक्षक अभियंता /कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता/परिचालन, उप-कार्यालय प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता ।

यादि क्रमांक-चेन/13/जी.एम./कमर्शियल/आर.-17/139/04/वोल्यूम-।।

दिनांक :-16/9/2010

विषयः- **बिजली अधिनियम -2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम (2003) तथा बिजली संशोधन अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश ।**

यह परिपत्र उपरोक्त विषय पर सेल्ज परिपत्र संज़्या डी/2010 दिनांक 23/08/2010 की निरन्तरता पर है।

प्रबन्धन द्वारा मामले की समीक्षा की गई है और निर्णय लिया गया है कि जो उपभोक्ता आकलन से असंतुष्ट है उसे आकलन राशि का 40 प्रतिशत जमा करवाने के बाद आकलन अधिकारी के पास अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। आकलन अधिकारी 40 प्रतिशत राशि जमा होने के बाद आपूर्ति पुनः चालू करने का आदेश पारित करेगा और दो दिनों के अंदर पूरा मामला मुज़्य महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,द.ह.बि.वि.नि. हिसार के कार्यालय में भेजेगा।

समिति का अंतिम आदेश, जमा कराई गई 40 प्रतिशत राशि के समायोजन के पश्चात अंतिम आकलन नोटिस के रूप में आवेदक को सूचित किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा अंतिम आदेश की अनुपालना न करने के मामले में उपभोक्ता की आपूर्ति तुरंत काट दी जाएगी।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-24/2010

प्रेषक,

महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता /अधीक्षक अभियंता /कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता/परिचालन,उप-कार्यालय प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता।

मैमो संज़्या-चेन/24/जी.एम./ कमर्शियल/ आर.-16/139/04/ वोल्यूम-।।
दिनांक :-2/8/2010

विषय:- **बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम (2003) तथा बिजली (संशोधन)अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश ।**

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2007 के खंड-।। के उपखंड-13 के संदर्भ में, जो नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :-

''**आकलन अधिकारी :-** हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संज़्या 1/12/2003-। पावर दिनांक 9 दिसज़्बर, 2003 के अुनसार बिजली चोरी के मामलों में आकलन हेतु निज़्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है:-

कनैक्शन का प्रकार	**आकलन हेतु अधिकृत अधिकारी**
1	**2**
घरेलू (<30 किलोवाट)	सज़्बन्धित उपमण्डल अधिकारी, (एस.डी.ओ.) परिचालन
घरेलू (>30 किलोवाट)	सज़्बन्धित उपमण्डल अधिकारी, (एस.डी.ओ.) परिचालन
गैर-घरेलू	सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता, परिचालन
कृषि	सज़्बन्धित उपमण्डल अधिकारी, (एस.डी.ओ.) परिचालन
एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति	सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता, परिचालन
एच.टी.औद्योगिक आपूर्ति/बल्क आपूर्ति	सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता, परिचालन
पब्लिक लाईटिंग और अन्य शेष श्रेणियां	सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता, परिचालन

नोट :-

उच्च पदेन अधिकारी भी आकलन के लिए अधिकृत किए जाएंगे।' निगम प्रबन्धन ने उपरोक्त खंड की समीक्षा की है और निर्णय लिया गया है :-

कनैक्शन का प्रकार	**आकलन हेतु अधिकृत अधिकारी**
1	**2**
घरेलू	सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी, (एस.डी.ओ.) परिचालन
गैर-घरेलू	सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी, (एस.डी.ओ.) परिचालन
कृषि	सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी, (एस.डी.ओ.) परिचालन
एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति	सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी, (एस.डी.ओ.) परिचालन
एच.टी.औद्योगिक आपूर्ति और 50 किलोवाट भार से ऊपर वाली सभी श्रेणियां	कार्यकारी अभियंता (एक्सईन),परिचालन

नोट :-

उच्च पदेन के अधिकारी भी आकलन के लिए अधिकृत होंगे।

सेल्ज परिपत्र संख्या डी-43/2007 उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन के लिए सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाए जाए।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या -7/2011

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि.लि. में सभी मुज़्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/परिचालन/उप-कार्यालयप्रभारी/वरिष्ठ/फोरमैन।

यादि क्रमांक-चेन-7/जी.एम./कमर्शिलय/आर.-17/139/04/वोल्यूम-।।
दिनांकः- 07/04/2011

विषयः- बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम (2003) तथा बिजली (संशोधन) अधिनियम - 2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश - संशोधन इस प्रकार है :-

उपरोक्त विषय पर सेल्ज परिपत्र संज़्या-डी-6/2010 दिनांक 23/08/2010 तथा सेल्ज निर्देश संज़्या 13/2010 दिनांक 16/09/2010 के संदर्भ में बिजली चोरी के मामले में आकलन राशि के विरूद्ध आकलन अधिकारी के समक्ष असंतुष्ट उपभोक्ता को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने का अवसर दिया गया था।

प्रबन्धन द्वारा मामले की समीक्षा की गई है तथा निर्णय लिया गया है कि सेल्ज परिपत्र संज़्या-डी-6/2010 दिनांक 23/08/2010 तथा सेल्ज निर्देश संज़्या 13/2010 दिनांक 16/09/2010 को वापस ले लिया जाए।

तदनुसार सेल्ज परिपत्र तथा सेल्ज निर्देश दिनांक 8/04/2011 से वापस ले लिया गया है।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाए।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
कृतेः मुज़्य अभियंता, वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

निर्देश संज़्या 12/2011/पी. एण्ड डी.

प्रेषक

मुज़्य अभियंता/पी.एण्ड डी.,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के अन्तर्गत सभी महाप्रबन्धक/ऑप्रेशन और महाप्रबन्धक/निर्माण।

ज्ञापन संज़्या : चैन **दिनांक :**

विषय :- पी.जी. कलैज़ लगाकर मौजूदा जज़रों को बदलना।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के विभिन्न सर्कलों के अन्तर्गत 11 के.वी. फीडरों के मास जून, 2011 के ब्रेकडाऊन डाटा की समीक्षा की गई और यह ज्ञात हुआ कि अधिकतर ब्रेकडाऊन जज़रों के जलने या टूटने के कारण घटित होते हैं।

यह अवलोकित किया गया है कि जज़रों को लगाते समय फील्ड स्टॉफ पूरा ध्यान नहीं देते हैं और जज़रों को बांधने के लिए स्टील वायर को हटाने के बाद केवल एल्यूमीनियम तार का उपयोग करते हैं। यह ए.सी.एस.आर. कंडक्टरों की मजबूती कम होने का कारण बनता है और जज़रों के जोड़ो पर उचित कसाव प्रदान नहीं करता।

उचित जज़रिंग के लिए पी.जी. कलैज़स लगाकर जज़र लगाना चाहिए ताकि उचित मजबूती और कसाव मिले । यह केवल जज़र का जीवन ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि ब्रेकडाऊन घटाने में भी मदद करेगा।

यह निर्णय लिया गया है कि सभी मौजूदा जज़रों को पी.जी.कलैज़ लगाकर बदला जाए और पी.जी.कलैज़ों के नये कार्यों के लागत अनुमान/आबंटन तैयार करते समय पी.जी.कलैज़ों के उपयोग का ध्यान रखा जाना चाहिए।

यह निर्णय भी लिया गया है कि यदि उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में कोताही पाई जाती है तो फील्ड स्टॉफ की जिज़्मेदारी भी तय की जाएं।

उपरोक्त निर्देशों की सावधानी पूर्वक अनुपालना के लिए सभी सज़्बन्धितों के संज्ञान में लाया जाए।

यह विषय मिशल एस.ई./एस.ओ.-एल. के एन.पी.-2,3 पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक से अनुमोदित है।

मुज़्य महाप्रबन्धक/पी.एण्ड डी.,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

प्रतिलिपिः-

1. कृपया प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ हेतु द.ह.बि.वि.नि., हिसार के प्रबन्ध निदेशक के वरिष्ठ पी.एस. को।
2. कृपया निदेशकों की सूचनार्थ हेतु द.ह.बि.वि.नि., हिसार के निदेशक/ऑप्रेशन/प्रोजेक्ट के वरिष्ठ पी.एस. को।
3. द.ह.बि.वि.नि., के सभी मुज़्य अभियंताओं।
4. द.ह.बि.वि.नि., हिसार के मुज़्य महाप्रबन्धक/वित्त/लेखा/लेखापरीक्षा।

5. महाप्रबन्धक/प्रशासनिक , द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

6. निगम की वैबसाईट पर लगाने के लिए द.ह.बि.वि.नि., हिसार के महाप्रबन्धक/आई.टी.।

7. ऑप्रेशन और निर्माण को छोड़कर द.ह.बि.वि.नि., के सभी महाप्रबन्धक।

8. द.ह.बि.वि.नि. के अन्तर्गत ऑप्रेशन और सभी उपमहाप्रबन्धक/कार्यो; यह इच्छा है कि उपरोक्त निर्देश की अनुपालना के लिए अपने सभी सहायक कार्यालयों के संज्ञान में लाया जाए।

9. मुज़्य संचार अधिकारी,द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

10. उपमहाप्रबन्धक/मॉनिटरिंग, द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र क्रमांक डी-29/2011

प्रेषक

मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. में सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता/उप-कार्यालय प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता-।/परिचालन।

यादि क्रमांक : चेन-29/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/139/04/वोल्यूम-।/एफ-।
दिनांक :- 27/09/2011

विषय :- उपभोक्ता द्वारा श्रेणी परिवर्तन मामलों से निपटने के लिए निर्देश।

कृप्या सेल्ज परिपत्र क्रमांक डी-9/2009 तथा बिजली का उपयोग, अधिकृत उद्देश्य के लिए बिजली उपयोग को छोड़कर जहां उपयोग की जा रही आपूर्ति पर उच्च शुल्क लागू है बिजली-चोरी का मामला मानना है किन्तु जहां उपयोग की जा रही आपूर्ति पर न्यून (कम) शुल्क लागू है तो इसे अनाधिकृत बिजली उपयोग का मामला मानना है।

यह अनुभव किया गया है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां बिक्री बिजली उपयोग घरेलू श्रेणी के लिए है और आपूर्ति गैर घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही है। किन्तु घरेलू शुल्क में स्लैब (परत) प्रणाली होने के कारण उपभोक्ता द्वारा उच्च शुल्क (प्रति यूनिट भारी औसत दर) अदा किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि जहां बिजली का अधिकृत उपयोग घरेलू श्रेणी के लिए है किन्तु उपभोक्ता (अनाधिकृत रूप से) आपूर्ति का उपयोग गैर घरेलू उद्देश्य के लिए करता हुआ पाया जाता है तो घरेलू श्रेणी में लागू दर पर (स्थिर शुल्क/मासिक न्यूनतम शुल्क, ईंधन प्रभार समायोजन, नगरपालिका कर, आबकारी कर सहित) गत 12 महीनों की समस्त खपत गैर घरेलू श्रेणी में इतने ही यूनिट और इतने ही समय के लिए आंकलित राशि से अधिक बनती है तो जुर्माना राशि बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 की बजाय धारा-126 में लगाई जाए।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश क्रमांक -17/2011

प्रेषक

मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि. हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. में सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता/उप-कार्यालय प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता-।/परिचालन।

यादि क्रमांक : चेन-17/जी.एम./कमर्शियल/आर-16/139/वोल्यूम-।/एफ-।
दिनांक :-15/07/2011

विषय :- बिजली अधिनियम-2003 की धारा-153 के तहत हरियाणा राज्य में जिला मुज़्यालयों पर विशेष अदालतों का गठन।

कृपया हरियाणा सरकार अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी, 2007 के संदर्भ में जिसके माध्यम से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-3 के न्यायालयों को हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिला मुज़्यालय पर विशेष अदालत पद नियुक्त किया था।

मामले की समीक्षा की गई है तथा हरियाणा सरकार ने नई अधिसूचना दिनांक 22/09/2010 (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें बिजली अधिनियम 2003 की धारा -135 से 139 के तहत अपराध के लिए वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 के न्यायालय को हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिला मुज़्यालय पर विशेष अदालत के तौर पर पद नियुक्त किया गया है।

अत: विशेष न्यायालयों में बिजली चोरी मामले दर्ज करवाने के लिए संशोधित अधिूसचना के प्रावधानों का उपयोग किया जाए तथा इसे सभी सज़्बन्धित के संज्ञान (ध्यान) में लाया जाए। यह अधिसूचना पिछली अधिसूचना संज़्या-1/18/2003 -1 /पावर दिनांक 8/01/2007 का स्थान लेगी।

उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में ध्यानपूर्वक अनुपालन हेतु लाया जाए।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
कृते: मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

संलग्न दस्तावेज/उपरोक्त

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र क्रमांक डी-9/2009

प्रेषक

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

द.ह.बि.वि.नि. में सभी मुज्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता/उप-कार्यालय प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता- I/परिचालन।

यादि क्रमांक : चेन-9/जी.एम./कमर्शियल/आर-16/139/2004/वोल्यूम-2/एफ-।
दिनांक :- 30/11/2009.

विषय :- उपभोक्ता द्वारा श्रेणी परिवर्तन मामलों से निपटने के लिए निर्देश।

कृप्या सेल्ज परिपत्र क्रमांक डी-55/2007 दिनांक 17/10/2007 के संदर्भ में जिसके माध्यम से लोगों को जागृत करने में अधिकृत किए गए उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बिजली आपूर्ति की प्रकृति को रोकने के लिए स्वैच्छिक योजना आरज़्भ/प्रचारित की गई थी और यह साफ तौर पर कहा गया था कि योजना के बंद होने के पश्चात अधिकृत उद्देश्य के लिए बिजली आपूर्ति का उपयोग बिजली अधिनियम-2003 व सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2007 के तहत बिजली चोरी माना जाएगा।

विभिन्न स्थानों व क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त संदर्भो को मध्य नजर रखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबन्धन ने मामले को निज़्न सीमा तक स्पष्ट करने का निर्णय लिया है।

जो काई (जो भी व्यक्ति) अधिकृत किए गए बिजली उपयोग के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए बेईमानी से बिजली उपयोग करता है तो उसे बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 की धारा 135 (ड.) के तहत बिजली चोरी माना जाएगा और जहां बिजली का उपयोग बेईमानी से नहीं है उसे बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 की धारा-126 के तहत अनाधिकृत बिजली उपयोग माना जाएगा।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई उपभोक्ता अधिकृत उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए बिजली आपूर्ति का उपयोग करते हुए पाया जाता है और जिस उद्देश्य के लिए बिजली उपयोग की जा रही है उसका शुल्क अधिक है तो मामले को बिजली चोरी का मामला माना जाएगा किन्तु जहां उपयोग की जा रही बिजली के लिए न्यून (कम) शुल्क लागू है तो उसे अनाधिकृत बिजली उपयोग का मामला माना जाएगा।

उक्त सेल्ज परिपत्र उपरोक्त आश्य (सीमा) तक संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक व ध्यानपूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
विद्युत सदन, विद्युत नगर, हिसार-125005

विक्रय परिपत्र क्रमांक डी-54/2007

प्रेषक

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

द.ह.बि.वि.नि. में सभी मुज्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक /परिचालन/वरिष्ठ फौरमैन/उप-कार्यालय प्रभारी।

यादि क्रमांक : चेन-54/जी.एम. कमर्शियल/आर-16/39/4
दिनांक :- 10/11/2007

विषय :- **बिजली अधिनियम-2003, बिजली (संशोधन) अधिनियम-2003 तथा बिजली (संशोधन) अधिनियम-2007 के तहत बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए निर्देश।**

यह परिपत्र उपरोक्त विषय पर सेल्ज परिपत्र क्रमांक डी.-43/2007 दिनांक 20/07/2007 की निरन्तरता पर है।

निगम प्रबन्धन ने उक्त परिपत्र की समीक्षा की है तथा निर्णय लिया है कि बिजली चोरी पाए जाने पर कनैक्शन काटने के पश्चात 24 घंटे के अंदर निकटतम पुलिस थाने में आपत्ति दर्ज करवाना अनिवार्य है।

यदि उपभोक्ता अपराध समझौता राशि जमा करवाने के लिए आगे आता है तो आवश्यक समझौता राशि जमा करवाई जाएगी और लिखित संदेश (पत्राचार) थाना प्रभारी को (संलग्न प्रारूप अनुसार) बिजली अधिनियम-2003 की धारा 152 (2 व 3) के प्रावधान अनुसार किसी आपराधिक न्यायालय में उपभोक्ता के विरूद्ध कोई अभियोग आरज़्भ न करने के लिए भेजा जाएगा।

यह सेल्ज परिपत्र सेल्ज परिपत्र क्रमांक डी.-53/2007 द्वारा जारी किए गए निर्देशों का स्थान लेगा।

उपरोक्त निर्देश सावधानी पूर्वक और ध्यान से अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाया जाए।

संलग्न दस्तावेज/उपरोक्त

कृते :
महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी,
परिचालन उप-मण्डल,
द.ह.बि.वि.नि.. . . . . .

सेवा में,

थाना प्रभारी,
पुलिस थाना. . . . . .

यादि क्रमांक. . . . . . दिनांक :- . . . . . .

विषय :- **. . . . . के विरूद्ध शिकायत का वापिस लिया जाना।**

संदर्भः- **यादि क्रमांक . . . . . दिनांक. . . . . .के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत।**

सूचित किया जाता है कि बिजली अधिनियम-2003 की धारा 152 के प्रावधान अनुसार श्री. . . . .. में बिजली चोरी अपराध के लिए अपराध समझौता शुल्क राशि जमा करवा दी है।

बिजली अधिनियम-2003 की धारा 152 (1) के अनुसार राशि की अदायगी होने पर धारा 152 (2 व 3) के प्रावधान अनुसार ऐसे उपभोक्ता/व्यक्ति के विरूद्ध बिजली चोरी के लिए अदालती अभियोग नहीं चलाया जाएगा और इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-300 के आश्यानुसार अपराध मुक्त (निर्दोष) समझा जाएगा।

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए निवेदन है कि प्रथम-सूचना रिपोर्ट दर्ज न की जाए और उक्त व्यक्ति के विरूद्ध किसी ज़ी आपराधिक न्यायालय में बिजली चोरी से सज़्बन्धित अभियोग न चलाया जाए।

मण्डल अधिकारी,
परिचालन उपमण्डल,
द.ह.बि.वि.नि., ... ।

प्रति अग्रेषित :

1. पुलिस अधीक्षक. . . . . ।
2. महाप्रबन्धक (परिचालन) सर्कल, द.ह.बि.वि.नि. . . . . ।
3. उपमहाप्रबन्धक (परिचालन) मण्डल. . . . . ।